

**झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 25 जून, 2019

संख्या-3/पद0-01(घ)-03/2014 का.- 4984 / श्री अशोक कुमार, भा0व0से0 (झा:-91), मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (राजपत्रित), झारखण्ड, राँची को अपने कार्यों के साथ निदेशक, झारखण्ड गैर परम्परागत ऊर्जा विकास प्राधिकार (जेडा), राँची का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(अनिल कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 3/पद0-01(घ)-03/2014 का.- 4984 / राँची, दिनांक- 25 जून, 2019
प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 3/पद0-01(घ)-03/2014 का.- 4984 / राँची, दिनांक- 25 जून, 2019
प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव कोषांग, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/संयुक्त सचिव, प्रभारी (प्रशाखा-5 एवं 6) कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।